राजस्थान सरकार

न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी (जिला कलक्टर), बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई०ए०एस०

सूचना का अधिकार प्रार्थना पत्र 30/2024

अपीलांटः–
1. श्री सुजाराम पुत्र चुन्नाराम जी माली, निवासी कनाना, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।

बनाम

रेस्पोडेंटः –
1 अति. जिला कलक्टर, बालोतरा।

आदेश

दिनांक 29.10.2024

1. अपीलार्थी श्री सुजाराम पुत्र चुन्नाराम जी माली, निवासी कनाना, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा ने यह प्रथम अपील अप्रार्थी अति. जिला कलक्टर, बालोतरा के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 21.10.2024 को प्रस्तुत की गई है। अपीलीर्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक/ऑनलाईन प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से संबंधित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर, बालोतरा को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोडेंट द्वारा निर्धारित सुनवाई तिथी को उपस्थित हुए <u>जवाब/टिप्पणी</u> प्रस्तुत की गई।
3. रेस्पोडेंट द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना पत्रांक/लो.सू.अ./2024/221 दिनांक 16.10.2024 को जरिये व्यक्तिशः उपलब्ध करवाई गई है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को निस्तारित की जाये।
4. अपीलार्थी स्वयं उपस्थित होकर कथन किया कि अति. जिला कलक्टर, बालोतरा द्वारा सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अपीलार्थी ने मौजा बालोतरा के खसरा संख्या 215 के म्युटेशन संख्या 637 दिनांक 24.05.1966 को जरिये 96 रू में 3रु के स्टाम्प पर खरीद पर भरा गया है। उक्त म्युटेशन 3रू के स्टाम्प के आधार पर भरा गया, उस स्टाम्प की प्रतिलिपि चाही गई थी, लेकिन श्रीमान अति जिला कलक्टर, बालोतरा द्वारा म्युटेशन संख्या 637 की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई गई है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त 3 रू का स्टाम्प जो म्युटेशन संख्या 637 दिनांक 24.05.1966 को भरा गया है, की प्रति दिलाने का आदेश फरमावे।

जिला कलक्टर
बालोतरा

5. हमने प्रस्तुत अपील एवं रेस्पोडेंट की ओर से जवाब का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अपीलांट को वांछित सूचना अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी अति, जिला कलक्टर बालोतरा के सूचना पत्रांक/लो.सू.अ./2024/221 दिनांक 16.10.2024 को जरिये व्यक्तिशः उपलब्ध करवाना बताया गया। अपीलार्थी द्वारा मौजा बालोतरा के खसरा संख्या 215 के म्युटशन संख्या 637 दिनांक 24.05.1966 को जरिये 96 रू में 3रु के स्टाम्प पर खरीद पर भरा गया है। उक्त 3 रू का स्टाम्प जो म्युटेशन संख्या 637 दिनांक 24.05.1966 को भरा गया है, की प्रति चाही गई है, इसके बावजूद अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलांट द्वारा चाही गई वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है, जो उचित नहीं है। इस प्रकार अपीलांट को वांछित सूचना उपलब्ध कराया जाना उचित प्रतीत होता है। लिहाजा प्रस्तुत अपील के तथ्यों के अवलोकन एवं विवेचन उपरान्त अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार योग्य है।

6. अतः अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार की जाकर अति जिला कलक्टर, बालोतरा लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि रेकर्ड की यथा उपलब्धता अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करवाई जावे अन्यथा उसे इस संबंध में सूचना नहीं है का लिखित में सूचित किया जाकर प्रार्थना–पत्र का निस्तारण शीघ्र किया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

7. आदेश आज दिनांक 29.10.2024 को न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर
बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा